



म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
शौर्य स्मारक के द्वार नं-3 के सामने, मेन रोड न.1 भोपाल

क्रमांक ~~1858~~ आदेश/रेरा/ 2020

भोपाल, दिनांक: 07/02/2020

आदेश

सम्पर्वतक द्वारा प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करते वक्त सम्पर्वतक से मार्केटिंग हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री यथा ब्रोशर, पेम्पलेट इत्यादी का प्रारूप आवेदन के साथ ही जमा कराया जावे तथा प्राधिकरण से पंजीयन स्वीकृति मिलने के तुरन्त पश्चात प्रोजेक्ट को रेरा नंबर जारी करने के पश्चात 30 दिन के अन्दर अंतिम ब्रोशर, पेम्पलेट (जिसमें रेरा नंबर का उल्लेख हो) जमा कराया जावे। पंजीयन आदेश में यह भी शर्त रखी जावे कि भविष्य में जब-जब ब्रोशर, पेम्पलेट, मार्केटिंग सामग्री मुद्रित की जाती है, उसकी एक-एक प्रति रेरा कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेशित)


(चन्द्रशेखर वालिम्बे)

सचिव

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
भोपाल, दिनांक 07/02/2020

क्रमांक ~~1859~~ आदेश/रेरा/ 2020

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय अध्यक्ष की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव माननीय सदस्य (न्यायिक/तकनीकि) की ओर सूचनार्थ।
3. न्याय निर्णायक अधिकारी/निष्पादन अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
5. विधिक/तकनीकि सलाहकार की ओर सूचनार्थ।
6. लेखा/आई.टी.शाखा की ओर सूचनार्थ।


(चन्द्रशेखर वालिम्बे)

सचिव

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण